UPRB010032352026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1380/2026

राम कुमार सरोज आयु लगभग 29 वर्ष, पुत्र स्व० भारत निवासी ग्राम धरई मजरे भुआलपुर सिसनी थाना नसीराबाद, जिला रायबरेली।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

...विपक्षी/अभियोगी।

03–06–2026

आवेदक–अभियुक्त **राम कुमार सरोज** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या **59/2026**, धारा–**103(1)भारतीय न्याय संहिता 2023** थाना **नसीराबाद,** जिला **रायबरेली**, के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि– वादिनी ने अपनी पुत्री अन्तिमा देवी उम्र करीब 30 वर्ष की शादी करीब 10 वर्ष पहले राम कुमार सरोज के साथ की थी। शादी के बाद से ही राम कुमार उसकी पुत्री के साथ मारपीट करने लगा था। इसी बीच उसकी पुत्री के दो बच्चे हुए जिनका नाम अनिकेत 8 वर्ष, व परम 6 वर्ष है। पुत्री के साथ कई बार मारपीट करने के कारण वादिनी व उसका परिवार , राम कुमार को उनके परिवार के साथ समझाया बुझाया कि दो बच्चे हैं, क्यों मारपीट करते हो परन्तु नही माना। दिनांक 28–09–2026 को समय 5.30 बजे शाम सूचना मिली की उसकी पुत्री की राम कुमार के घर के अन्दर मृत्यु हो गयी है। जब वादिनी ने जानकारी की तो पता चला कि राम कुमार ने उसकी पुत्री की गला घोट कर हत्या की है। वादिनी द्वारा मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। वर्तमान में प्रकरण की विवेचना सम्पूर्ण कर आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णरूप से निर्दोष है, उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से बिना किसी स्पष्टीकरण के दर्ज करायी गयी है। अभियोजन कथानक से ही प्रथम दृष्टया सम्पूर्ण मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्नेहपूर्वक रहता था और कभी भी कोठ मारपीट आदि नही करता था। मात्र प्रार्थी/अभियुक्त को फंसाने के उद्देश्य से झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी है। दिनांक 28–03–2026 को अचानक प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी की मृत्यु हो गयी तो प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं अपनी सास व अन्य लोगों को सूचना दी थी। सभी लोगों के आ जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी का पंचनामा हुआ और वादिनी स्वयं उपस्थित थी किन्तु बाद में लोगों के भड़काने पर वादिनी

द्वारा यह झूठा मुकदमा अंकित कराया गया है। पोस्टमार्ट रिपोर्ट अभियोजन कथानक का समर्थन नही करती है। प्रार्थी/अभियुक्त के दो छोटे–छोटे बच्चे हैं तथा पत्नी की मृत्यु हो जाने और प्रार्थी/अभियुक्त के जेल में होने के कारण बच्चो की देखभाल नही हो पा रही है। पुलिस द्वारा एकत्र साक्ष विश्वासनीय नही है। प्रार्थी/अभियुक्त ने विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है। उसके फरार होने की सम्भावना नही है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05–04–2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी विश्वनीय जमानते देने को तैयार है। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अक्सर शराब के नशे में मारता पीटता था जिसके सम्बन्ध में मृतका की माँ ने कई बार समझाया भी था परन्तु वह नही माना और घटना वाले दिन उसने अपनी पत्नी की गला घोट कर हत्या कर दी। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। कथित अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता पायी गयी है, जिसके आधार पर मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

उभयपक्ष के तर्को के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादिनी श्रीमती परमिला देवी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उसकी पुत्री, जो अभियुक्त की पत्नी थी, की गला घोट कर हत्या किये जाने का कथन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। वादिनी द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में उक्त कथन का समर्थन किया गया है। मृतका के भाई के द्वारा भी उक्त तथ्यों का समर्थन किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्त ने स्वयं के द्वारा मृतका की हत्या करना स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मृतका की पोस्टमोर्टम आख्या में मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व स्टैंगुलेशन(STAGULATION)के कारण हुए एसफिक्सिया(ASPHYXIA) से होना वर्णित किया गया है।

मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की भूमिका को देखते हुए आधार जमानत पर्याप्त नही है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–अभियुक्त **राम कुमार सरोज** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **59/2026**, धारा–**103(1)भारतीय न्याय संहिता 2023** थाना **नसीराबाद,** जिला **रायबरेली**, के मामले में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(कुशल पाल)
प्रभारी/सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
03–06–2026

Renu Srivastava
Stenographr